

I/18542/2023

I/18542/2023

File No. अधि-1-1208/1/2022-F3-Forest DEPT (Computer No. 6170)

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

ईमेल: ccfadmin-forest-uk@nic.in 0135:2741461,2746934 फ़ैक्स : 2741630,2741462

कार्यालय पता: वन भवन, 85-राजपुर रोड़, देहरादून,

वनादेश सं० 42 /1-13(13)एच0आर0डी0 देहरादून दिनांक 24, मार्च, 2023.



पदोन्नति / तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 1/8678/2022/1-13(एच0आर0डी0) दिनांक 28-10-2022 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-11-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 लेवल 07 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 47,600-1,51,100 लेवल-08 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में की जाती है :-

क्र० सं०	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	तैनाती कार्यालय	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री सुन्दर सिंह बिष्ट	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोडा	प्र०व०, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

5. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए)(1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

Signed by Vinod Kumar

Date: 24-03-2023 14:05:24

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

पत्र सं० 1/18542/23/1-13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊ नैनीताल।

3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोडा।

4. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

5. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।

7. मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।

8. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

1

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF